**[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i)**

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the 29th September, 2017

## NOTIFICATION

G.S.R......(E).- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 ( 23 of 1968) , the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely: -

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968,-

   (i) in Paragraph 2, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-

   "(a) 'Aadhaar number' means an identification number as defined in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

   (aa) 'Account' means a Public Provident Fund Account under this Scheme;";

   (ii) after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"(4A) **Identification of Account holders.** - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of establishing the identity of an account holder:

Provided that where Aadhaar number has not been assigned, the depositor shall submit proof of application of enrolment for Aadhaar:

Provided further that every depositor under this scheme who has not given his Aadhaar number at the time of application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Accounts Office concerned, on or before the 31st day of December, 2017. ".

[F. No. 1/3/2015-NS.II]

(Prashant Goyal)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal Scheme was notified vide G.S.R. 1136(E). dated 15.6.1968 and amended vide G.S.R. 368 (E), dated 1.8.72, G.S.R. 217 (E), dated 16.3.83, G.S.R. 54(E), dated 7.2.84, G.S.R.895(E), dated 23.6.86, G.S.R. 1013(E), dated 20.8.86, G.S.R. 793(E), dated 29.8.89, G.S.R. 477(E), dated 25.5.94, G.S.R. 489(E) dated 6.7.99, G.S.R.908(E), dated 6.12.2000, G.S.R.679(E), dated 4.10.2002, G.S.R.768(E), dated 15.11.2002, G.S.R.585(E), dated 25.7.2003, G.S.R.690(E), dated 27.8.2003, G.S.R.755(E), dated 19.11.2004, G.S.R.291(E), dated 13.5.2005, G.S.R.956(E), dated 7.12.2010, G.S.R.844(E), dated 25.11.2011 and 225(E) dated 13.3.2014, G.S.R. 496 (E), dated 11.7.2014, G.S.R. 588(E), dated 13.8.2014, G.S.R. 350 (E) dated 29.3.2016, G.S.R. 940 (E), dated 30.9.2017 and G.S.R. 388(E), dated 31.3.2017 and G.S.R. 860 (E), dated 30.6.2017.

*****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**नई दिल्ली, तारीख-29-सितंबर, 2017**

**अधिसूचना**

**सा.का.नि ---------- (अ.)** - केन्द्रीय सरकार, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इस स्कीम को लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2017 कहा जाएगा।
   (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 में,

   (i) पैरा 2 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
   "(क) 'आधार संख्या' से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है।
   (कक) 'खाता' से इस स्कीम के अंतर्गत लोक भविष्य निधि खाता अभिप्रेत है;"
   (ii) पैरा 4 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

   **"(4क) खाता धारक की पहचान -** यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान होगी:

   परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

   परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक या लेखा कार्यालय में अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।"

**[फा.सं. 1/3/2015-एनएस-II]**

**(प्रशांत गोयल)**
**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**

**टिप्पणी:** प्रधान योजना सा.का.नि. 1136 (अ) तारीख 15 जून, 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात सा.का.नि 368(अ), तारीख 1.8.72, सा.का.नि 217(अ), तारीख 16.3.83, सा.का.नि 54(अ), तारीख 7.2.84, सा.का.नि 895(अ), तारीख 23.6.86, सा.का.नि 1013(अ), तारीख 20.8.86, सा.का.नि 793(अ), तारीख 29.8.89, सा.का.नि 477(अ), तारीख 25.5.94, सा.का.नि 489(अ), तारीख 6.7.99, सा.का.नि 908(अ), तारीख 6.12.2000, सा.का.नि 679(अ), तारीख 4.10.2002, सा.का.नि 768(अ), तारीख 15.11.2002, सा.का.नि 585(अ), तारीख 25.7.2003, सा.का.नि 690(अ), तारीख 27.8.2003, सा.का.नि 755(अ), तारीख 19.11.2004, सा.का.नि 291(अ), तारीख 13.5.2005, सा.का.नि 956(अ), तारीख 7.12. 2010, सा.का.नि 844(अ), तारीख 25.11.2011, और सा.का.नि 225(अ), तारीख 13.3.2014, सा.का.नि. 496(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 588(अ), तारीख 13 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा.का.नि. 388(अ), तारीख 31 मार्च, 2017, सा.का.नि. 940(अ), तारीख 30 सितंबर, 2017 और सा.का.नि. 860(अ), तारीख 30 जून, 2017, द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे।